राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–एफ. 3(212)नविवि/3/2011 दिनांक: 13 SEP 2011

आदेश

राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम, 31 एवं राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नांकित प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए भवन निर्माण अवधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करती है :–

1. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम, 15–ए को दृष्टिगत रखते हुए समय–समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग संबंधित प्रकरणों का नियमन/आवंटन धारा 90बी भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 54बी जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम–1982, धारा 49 जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम– 2009, नगर सुधार अधिनियम–1959 व धारा 71 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत किया जाकर पट्टा विलेख (लीज–डीड) जारी किये जा रहे है। किन्तु ऐसे नियमित/आवंटित भूखण्ड चाहे वह निजी खातेदारी योजना अथवा गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से क्रय किये गये है, उन भूखण्डों पर निर्माण नही करने की शास्ति किस दर पर कब से वसूली योग्य है, इस संबंध में विभिन्न निकायों के द्वारा भिन्न प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

अतः निजी खातेदारी भूमि/गृह निर्माण सहकारी समिति से क्रय की गई भूमि के संबंध में धारा 90बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत आदेश पारित होने के पश्चात पट्टा विलेख (लीज डीड) संबंधित नगरीय निकाय द्वारा जारी करने की दिनांक से 10 वर्ष की समयावधि में भवन निर्माण नही किए जाने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावे व 10 वर्ष की अवधि के पश्चात भूखण्डधारी से संबंधित जोन की सामान्य आवासीय नियमन/आवंटन दर की चार गुणा राशि को आरक्षित दर माना जाकर उक्त आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष शास्ति के रूप में वसूल की जाकर भूखण्ड का नियमन किया जावे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नही खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नही जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह सन्धु)
प्रमुख शासन सचिव